म. प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26, किसान भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल

क्र./बी–6/नियमन/ई–अनुज्ञा/750 भोपाल,दिनांक 08/12/2020

प्रति,

1 संयुक्त/उप संचालक
म. प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
आंचलिक कार्यालय ....समस्त।

2 सचिव
कृषि उपज मण्डी समिति .... समस्त।

विषयः–दिनांक 14.11.2020 से मंडी फीस की घटाई हुई दरो के आधार पर फल–सब्जी मंडी में संबंधित क्रेताओं द्वारा अधिक भुगतान की गई मंडी फीस के संबंध मे।

संदर्भः–राज्य शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग की अधिसूचना दिनांक 27 नवम्बर 2020

संदर्भित अधिसूचना द्वारा दिनांक 14.11.2020 से मंडी फीस की दर रूपये 0.50 नियत की गई है।

फल–सब्जी मंडी प्रांगणों मे संपादित विपणन व्यवस्था के लिए फल–सब्जी मंडी विपणन के लिए उपविधि सन् 2000 में प्रावधान निर्धारित है।

उपविधि में संबंधित क्रेता व्यापारी/कमीशन एजेन्टस द्वारा प्रावधानित अनुसार, जमा कराए जा रहे नियतकालिक विवरणियो एवं कमीशन एजेन्टस द्वारा जारी एकजाई पत्रक ''प्ररूप–एक–अनुबंध/तौल/भुगतान पत्रक'' के आधार पर संबंधित से अधिक जमा मण्डी फीस की प्रतिपूर्ति/भुगतान का निवेदन प्राप्त होने पर कार्यालयीन रिकार्ड एवं संबंधित क्रेता व्यापारी/कमीशन एजेन्टस के रिकार्ड से मंडी सचिव के स्तर से मिलान की सभी औपचारिकताए पूर्ण करते हुए मंडी फीस प्रतिपूर्ति/भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।

उक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करावे।

7.12.20

(संदीप यादव)
प्रबंध संचालक सह आयुक्त
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

letter 19-20

क./बी–6/नियमन/ई–अनुज्ञा/751 भोपाल,दिनांक 08/12/2020

प्रतिलिपि :–

चीफ प्रोग्रामर, म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल। फल–सब्जी मंडी में संव्यवहारो के संबंध में संबंधित केता व्यापारी/कमीशन एजेन्टस को मंडी फीस के केडिट पर तात्कालिक रूप से रोक लगाई जाये। यह कार्यवाही, मंडी सचिव के प्रमाणीकरण के आधार पर ही की जा सकेगी। ई–अनुज्ञा पोर्टल मे मंडी सचिव लॉगिन पर आवश्यक कार्यवाही का विकल्प उपलब्ध करावे।

7.12.20

प्रबंध संचालक सह आयुक्त
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल